8-6-2018 वकुलाय उपरा वकुलाय उभय पक्ष को सुना गया। वकील वादीगण ने बताया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के बुजुर्गों ने अपनी भूमियो बाबत दिनांक 30-3-1977 को एक तबादला लेख किया था जो तहसील कार्यालय में रजिस्ट्रार के यहां पंजीयन भी कराया था। परन्तु सहवन से उसकी पालना नही हो पाई। अतः उसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। वकील प्रतिवादीगण द्वारा भी इकबालिया जवाब पेश कर उसके अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की सहमति प्रदान की।

पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तबादला लेख दिनांक 30-3-1977 का अवलोकन किया गया। तबादला लेख दिनांक 30-3-1977 के अवलोकन से पाया गया कि पुराने भूमि ख०न० 54, 55, 56, 57, व 147 तन ग्राम कोटड़ा की भूमि जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बुजुर्गों के नाम से थी। जिसका प्रतिवादीगण के बुजुर्ग पीथा व वादी सं 2 व वादी स 2 के पिता स्व० मूथा के मध्य दिनांक 30-3-77 को एक तबादला लेख हुआ है। जिसका पंजीयन तहसील कार्यालय नीमकाथाना मे हुआ है जो रजिस्टर्ड है। मुताबिक तबादला लेख के अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु प्रतिवादीगण ने जरिये वकील इकबालिया जवाब पेश कर अपनी ओर से सहमति प्रदान की है। किसी प्रकार आपत्ति नही जताई। तबादला लेख पंजियन कार्यालय नीमकाथाना में पंजीयन हुआ है। जो एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिस पर अविश्वास नही किया जा सकता। तथा उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज बाबत वादीगण व प्रतिवादीगण दोनो पक्ष सहमत है। दोनो ही पक्षो द्वारा आपस मे कोई तबादला लेख के सम्बन्ध मे कोई आपत्ति नही उठाई गई है। बल्कि दोनो ही पक्ष आपस मे तबादला लेख के अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कराने हेतु सहमत है। इसलिए राजस्व लोक अदालत की भावना को देखते हुए मुताबिक ~~[illegible]~~ तबादला लेख के वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

उपखण्ड अधिकारी

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारी[illegible] अहकाम जो [illegible] हुकम की तारी[illegible] में जारी हु[illegible]
अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण पंजिकृत तबादला लेख दिनांक 30-3-1977 के आधार पर डिक्री किया जाता है तथा वादीगण को भूमि ख० न० 218 रकबा 0.02 ख० न० 219 रकबा 2.15 हे० तन ग्राम कोरडा मे प्रतिवादी व उनके बुजर्गों के नाम दर्ज हिस्से मे से 0.5125 हे का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीगण के नाम दर्ज भूमि ख० न० 81 रकबा 0.23 हे० ख० न० 82 रकबा 0.21 हे० सम्पूर्ण व ख० न० 83 मे से 0.02375, ख० न० 84 मे से 4 बिस्वा 0.05 हे किता 4 रकबा 0.5137 हे तन ग्राम कोरडा का प्रतिवादीगण 1 ता 12 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (जगदीश प्रसाद गौड) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Scanned by CamScanner